मो0 खुरशीद आलम अंसारी, जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा के द्वारा दिनांक-12.08.2014 को प्रखंड पंचायत समिति, सिंहेश्वर की अभिलिखित निरीक्षण टिपण्णी :-

परिचय : प्रखंड कार्यालय, सिंहेश्वर जिला मुख्यालय से 09 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर पूर्व दिशा में अवस्थित है। प्रखंड कार्यालय, सिंहेश्वर दिनांक 01.04.1960 को प्रक्रम-। में आरंभ हुआ था तथा दिनांक 01.04.1971ई0 से प्रक्रम-।। में परिवर्तित हुआ, जो सम्प्रति प्रक्रम-।। में ही कार्यरत है। प्रखंड मुख्याल से 01 किलोमीटर पूरब करुवा नदी तथा 04 किलोमीटर उत्तर में लालपुर नदी अवस्थित है। प्रखंड के समीप बाबा सिंहेश्वर नाथ का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ प्रत्येक वर्ष महाशिव रात्रि के अवसर पर सार्वजनिक मेला का आयोजन किया जाता है जो एक पखवारा से अधिक दिनों तक चलता है। प्रखंड मुख्यालय सिंहेश्वर से लगभग 01 किलोमीटर दूरी पर नारियल विकास बोर्ड अवस्थित है जहाँ पर विभिन्न प्रकार के पौधों की नर्सरी है।

श्री रमण कुमार, पंचायत सचिव, सुखासन पंचायत, जो लगभग गत तीन महीनों से प्रखंड पंचायत समिति की योजनाओं/ पंजियों एवं अभिलेखों के प्रभार में है, ने अधोहस्ताक्षरी को बताया कि उन्हें विधिवत प्रभार नहीं मिला है, परन्तु तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमति राजलक्षमी के आदेशानुसार उन्होंने प्रभारी लिपिक के रूप में अतिरिक्त ढंग से कार्य करना प्रारंभ किया। उनका कहना है कि वित्तीय वर्ष 2011-12 से अबतक संधारित अभिलेखों एवं संचालित योजनाओं से संबंधित अभिलेख हीं वे दिखा सकते हैं। पूर्व के वर्षो के कागजात का प्रभार उन्हें तत्कालीन प्रभारी लिपिक श्री राजकिशोर प्रसाद (सेवा निवृत्त) से आजतक नहीं मिला है। वर्त्तमान प्रभारी लिपिक (पं0स0) श्री रमण कुमार द्वारा अभिलेखों/कागजात का रखरखाव सही ढंग से नहीं किया गया है तथा ससमय अभिलेखों का संधारणएवं अद्यतीकरण में भी लापरवाही बरती गयी है। श्री रमण से स्पष्टीकरण मांगे। इस संबंध में तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं वर्त्तमान प्रखंड विकास पदाधिकारी के स्तर से कौन सी कार्रवाई हुई इस संबंध में उनसे स्पष्टीकरण की मॉग की जा सकती है। इस आशय की सूचना जिलाधिकारी, मधेपुरा को दी जाय।

(अनुपालन :श्री रमण कुमार (पं0स0)/ श्री राजकिशोर प्रसाद, सेवानिवृत्त पं0सचिव, सिंहेश्वर/ वर्त्तमान एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर)

बी0आर0जी0एफ0 योजना :

वित्तीय वर्ष	कुल ली गई योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	लंबित रहने का कारण	अभ्युक्ति
2011-12	16	07	09	अभिकर्त्ता के द्वारा कार्य में अभिरूचि का अभाव	तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नियंत्रण एवं अनुश्रवण में लापरवाही
2012-13	08	0	08		
2013-14	02	0	02		
2014-15	0	0	0		
कुल	**26**	**07**	**19**		

योजना संख्या 01/2011-12 में कुल अग्रिम 2,67,000.00 रू0 दिया गया है। परन्तु मापी पुस्त में अंकित प्राक्कलित राशि 3,45,200.00 रू0 के विरूद्ध 3,45,000.00 रू0

26/8/14

दिनांक-02.11.2012 तक अद्यतन किया गया है, जिसपर कनीय अभियंता/ सहायक अभियंता का हस्ताक्षर अंकित है। आश्चर्य का विषय यह है कि मापी-पुस्त में योजना को पूर्ण दिखाया गया है लेकिन अभिलेख में प्रयोग में लाई गयी सामग्रियों यथा सीमेंट, बालू, गिट्टी इत्यादि का कोई भी अभिश्रव संलग्न नहीं है। वर्ष 2011-12 से अबतक लंबित चली आ रही पंचायत समिति की सभी योजनाओं का भौतिक निरीक्षण कर (तकनीकी पदाधिकारियों के साथ) जॉच प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी एवं जिलाधिकारी महोदय को समर्पित करें तथा व्याप्त अनियमितताओं के संबंध में आवश्यक प्रशासनिक / कानूनी कार्रवाई कर कृत कार्रवाई की सूचना से अवगत करायें। किसी भी परिस्थिति में बिना भौतिक निरीक्षण एवं संतुष्टि के लंबित योजनाओं में चेक का भुगतान नहीं करें अन्यथा अनियमितता की सारी जवाबदेही उनकी होगी।

(अनुपालन : प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर)

<u>13वॉं वित्त आयोग योजना :</u>

वित्तीय वर्ष	कुल ली गई योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	लंबित रहने का कारण	अभ्युक्ति
2012-13	04	0	04	अभिकर्त्ता के द्वारा कार्य में अभिरुचि का अभाव	तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नियंत्रण एवं अनुश्रवण में लापरवाही
2013-14	08	0	08		
2014-15	0	0	0		
कुल	12	0	12		

योजना संख्या-01/2012-13 ग्राम पंचायत लालपुर सरोपट्टी, मुसहरी हरिजन टोला सरोपट्टी ऑगनबाड़ी केन्द्र संख्या-80 का भवन निर्माण :- इस योजना का अभिलेख देखने से पता चलता है कि अग्रिम के रूप में कुल 4,57,000.00 रू0 का भुगतान अभिकर्त्ता श्री सुशील कुमार शर्मा, पंचायत सचिव (से0नि0) को किया गया है। मापी पुस्त 4,98,156.00 रू0 दिनांक-28.12.2012 को सहायक अभियंता श्री बलवंत कुमार एवं कनीय अभियंता श्री रामप्रकाश दास द्वारा अद्यतन किया गया है। जबकि प्राक्कलित राशि 4,95,000.00 रू0 है, परन्तु अद्यतन अभिलेख में एक भी सामग्री का अभिश्रव संलग्न नहीं है। प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर को आदेश दिया जाता है कि ऐसी सभी योजनाओं का भौतिक निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई करें।

(अनुपालन : प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर)

<u>चतुर्थ वित्त आयोग योजना :</u>

वित्तीय वर्ष	कुल ली गई योजना	पूर्ण योजना	अपूर्ण योजना	लंबित रहने का कारण	अभ्युक्ति
2012-13	06	0	06	अभिकर्त्ता के द्वारा कार्य में अभिरुचि का अभाव	तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी द्वारा नियंत्रण एवं अनुश्रवण में लापरवाही
2013-14	06	0	06		
2014-15	01	0	01		
कुल	13	0	13		

मंतव्य एवं निष्कर्ष-सह-अनुशंसा : बी0आर0जी0एफ0 योजना संख्या-04/2011-12 में प्रखंड कार्यालय की चाहरदिवारी निर्माण करने के बाद पुनः योजना संख्या-16/2011-12 का अभिलेख खोलकर क्रमशः 4,98,800.00 रू0 एवं 4,92,632.00 रू0 की अवैध निकासी की गई है, जो कार्य अभिकर्त्ता श्री हनुमानी प्रसाद यादव, सहायक अभियंता श्री विमल कुमार रंजन एवं तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमति राजलक्ष्मी से वसूलनीय है। इन सभी संबंधित कर्मियों एवं पदाधिकारियों से जिलाधिकारी/ उप विकास आयुक्त महोदय के स्तर से स्पष्टीकरण प्राप्त कर वर्णित योजना में अवैध निकासी की गयी राशि की वसूली सहित उनसभी के विरूद्ध स्थानीय थाना में प्राथमिकी दर्ज करवाने की अनुसंशा की जाती है।

इसी प्रकार योजना संख्या-07/2011-12 प्रखंड कार्यालय का अवशेष भाग की मरम्मति एवं संपोषण कार्य में प्राक्कलित राशि मो0 4,98,400.00 रू0 के विरूद्ध मापी पुस्त 4,93,054.00 रू0 का तत्कालीन कनीय अभियंता श्री हनुमानी प्रसाद यादव एवं सहायक अभियंता श्री विमल कुमार रंजन द्वारा हस्ताक्षरित कर दिनांक-20.10.2012 को अद्यतन किया गया है, जिसपर तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी श्रीमति राजलक्ष्मी का हस्ताक्षर अंकित नहीं है। इसप्रकार कार्यालय भवन को देखने से प्रथम दृष्टया सहज स्पष्ट होता है कि मुश्किल से 50 हजार रू0 का व्यय खिड़की एवं प्लास्टर आदि की मरम्मति में हुआ होगा। परन्तु इसमें लगभग 4,43,000.00 रू0 की अधिक निकासी की गई प्रतीत होती है। जॉच के समय उपस्थित प्रखंड पंचायत समिति के माननीय उप प्रमुख श्री राजेश कुमार रंजन ने भी इसकी लिखित पुष्टि की है (छायाप्रति संलग्न)। इस संबंध में उपरोक्त सभी कर्मियों एवं पदाधिकारियों से स्पष्टीकरण प्राप्त कर राशि वसूली सहित आवश्यक कानूनी कार्रवाई की अनुसंशा की जाती है।

ह0/-
जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा

ज्ञापांक...10-1...../पं0, मधेपुरा, दिनांक...26/...08./2014 ।

प्रतिलिपि : श्री रमण कुमार, पंचायत सचिव, सुखासन पंचायत, प्रखंड सिंहेश्वर, मधेपुरा को सुचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : प्रखंड विकास पदाधिकारी, सिंहेश्वर को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, मधेपुरा को प्रखंड/जिला/आयुक्त, कोशी प्रमंडल सहरसा को मेल द्वारा सूचित करने तथा मधेपुरा के वेबसाईट पर प्रदर्शित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, मधेपुरा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : जिलाधिकारी, मधेपुरा को सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

प्रतिलिपि : आयुक्त, कोशी प्रमंडल, सहरसा को सादर सूचनार्थ समर्पित।

प्रतिलिपि : प्रधान सचिव, पंचायती राज विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ समर्पित।

26/8/14

जिला पंचायत राज पदाधिकारी
मधेपुरा

सेवा में,

जिला पंचायत राज पदाधिकारी

मधेपुरा.

विषय: योजना सं. 7/11-12 BRGF में अवैध निकासी के संबंध में.

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि उपरोक्त योजना सं.-7/11-12 में प्रखण्ड कार्यालय सिंहेश्वर के मरम्मती के नाम पर मात्र 40-50,000 रूपये का खर्च हुआ होगा परंतु इसमें कुल 493054 रूपया का भुगतान किया गया है जो अवैध है एवं गंभीर जाँच का विषय है।

विश्वासभाजन

Rajesh
18.08.14

राजेश कुमार रंजन
उपप्रमुख, सिंहेश्वर प्रखण्ड